



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/15/2017/एफ0सी0 | 152

दिनांक : 17-7-17

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ

विषय: जनपद बाराबंकी में एस्सार ऑयल लि० द्वारा प्रस्तावित ग्राम-बनीकोडर, तहसील-रामसनेही घाट के गाटा संख्या-288 तथा 305 में भितरिया-हैदरगढ़ मार्ग पर किमी० 01-02 के मध्य दायीं पटरी पर रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.052743 हे० (पूर्व में 0.0493 हे०) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 2770/14-2-2016-800(1)/2017, दिनांक- 29.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 07.06.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत की गयी अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तुत अनुपालन आख्या में प्रस्तुत दस्तवेजों/वचनबद्धता प्रमाण पत्र में प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं है।

अतः अनुपालना आख्या से संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र में प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम, पद, मोहर एवं दिनांक अंकित करवाकर मूल रूप में प्रस्तुत किये जाए।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी, उ० प्र०।
3. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, 02/373 विशाल खण्ड, निकट- सी०मी०एस०, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}